# <u>न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण, भरतपुर (राज.)</u>

(जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारी: बलजीत सिंह, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**(1). <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 140/2026 (CIS No.154/2026)</u>**

दीपक पुत्र विजेन्द्र सिंह, आयु 30 साल, निवासी कचेरा थोक रुनकता, पुलिस थाना सिकन्दरा, जिला आगरा (उ.प्र.)

----- आरोपी/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, भरतपुर

----- अभियोगी

-----------

**(2). <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 142/2026 (CIS No.156/2026)</u>**

भगवान सिंह पुत्र शिवसिंह, आयु 58 साल, निवासी कुशवाह मोहल्ला, मण्डी मिर्जा खाँ, पुलिस थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा (उ.प्र.)

----- आरोपी/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, भरतपुर

----- अभियोगी

प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, एफ.आई.आर. संख्या 109/2026, अपराध अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस थाना सेवर, जिला भरतपुर.

-----

**<u>उपस्थिति</u> :-**

1. श्री जमुना प्रसाद शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता, आरोपी/प्रार्थी दीपक.
2. श्री गिरीश शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता, आरोपी/प्रार्थी भगवान सिंह.
3. श्री नरेश चन्द, विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक, जरिये राजस्थान राज्य.

**<u>आ दे श</u>** **दिनांक : <u>24.03.2026</u>**

1. आरोपी/प्रार्थीगण दीपक व भगवान सिंह की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पृथक-पृथक जमानत प्रार्थनापत्र पेश किए जाने पर नकल प्रार्थनापत्र विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई जाकर केस डायरी तलब की गई एवं बहस जमानत प्रार्थनापत्र सुनी गई। उक्त दोनों प्रार्थनापत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने से दोनों प्रार्थनापत्रों का एक ही आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. विद्वान् अधिवक्तागण आरोपी/प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया है कि आरोपी/प्रार्थीगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आरोपी/प्रार्थी दीपक के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आरोपी/प्रार्थी दीपक का गाड़ी से बरामदशुदा कथित गांजे से कोई संबंध

नहीं है, वह तो मात्र गाड़ी में लिफ्ट लेकर बैठा था और पुलिस द्वारा उसे भी इस प्रकरण में गलत तौर पर गिरफ्तार किया गया है। उन द्वारा तर्क दिया गया कि जब्ती अधिकारी द्वारा कथित गाड़ी से 12 पैकेटों में गांजा मिलना बताया गया है किन्तु सभी 12 पैकेटों को एक साथ मिलाकर एक अलग थैले में सील-मोहर किया जाना बताया है और गांजे का शुद्ध वजन 12 किलो 282 ग्राम होना बताया है। उन द्वारा तर्क दिया गया कि जब्ती अधिकारी द्वारा अपनायी गई विधि अवैधानिक है क्योंकि प्रत्येक पैकेट में से सैम्पल लेना चाहिए था। जब्ती अधिकारी द्वारा जानबूझकर प्रकरण को गम्भीर बनाने के आशय से सभी पैकेटों को एक साथ मिलाकर वजन किया गया है। आरोपी/प्रार्थीगण दिनाँक 25.02.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। उनसे अब इस प्रकरण में कोई बरामदगी शेष नहीं है। गाड़ी से बरामदशुदा कथित गांजा वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं आता है। आरोपी/प्रार्थीगण का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। इसलिए आरोपी/प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान् अधिवक्ता आरोपी/प्रार्थी दीपक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत-*(1). Puran Ram Vs. The State of Rajasthan, 2020(1) Criminal Court Cases 360 (Rajasthan), (2). Ladulal Gurjar Vs. State of Rajasthan, 2020(1) Cr.L.R. (Raj.) 1, (3). Balkishan Vs. Union of India th. CBN, Nimach, 2024(1) CJ(Cri.) (Raj.) 14, (4). Ramesh Vs. State of Rajasthan, 2024(3) CJ(Cri.) (Raj.) 1469, (5). Pura Ram Vs. State of Rajasthan, 2024(4) CJ(Cri.) (Raj.) 2126* पेश किये गये।

विद्वान् अधिवक्ता आरोपी/प्रार्थी भगवान सिंह द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत-*(1). Bhupendra Singh Jadaun Vs. State of Rajasthan Through PP, 2019(1) RAF (Raj.) 88 (2). Solomon Ogbe Vs. Narcotics Control Bureau, Bail Appli. No.4263/24 High of Delhi at New delhi, (3). Ishwar Singh Vs. The State of Rajasthan, S.B. Criminal Misc. 2nd Bail No. 6030/2017, (4). NCB Vs. Ankit Sagar, Crime No.VIII/35/DZU/2022 Order Dated 18.09.2024 In the Court of ASJ/Special Judge/NDPS Patiala House Courts, New Delhi* पेश किये गये।

3. विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि आरोपीगण के कब्जे से 12 किलो 282 ग्राम अवैध गांजा बरामद होना पाया गया है। जब्ती अधिकारी द्वारा 12 पैकेटों को एक थैले में डालकर एक साथ मिलाकर उसे सील-मोहर करने के कारण प्रकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विचारण का विषय है, जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय उक्त बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाना है। इसलिए आरोपी/प्रार्थीगण के कब्जे से बरामदशुदा गांजे की मात्रा को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.02.2026 को सतीश चन्द शर्मा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर ने वापसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की कि उक्त दिनाँक को वह मय जाप्ता चैकिंग बदमाशान व गश्त इलाका हेतु थाने से रवाना हाकर गाँव मलाह पहुँचा जहाँ पूर्व से रवानाशुदा करतार सिंह, उ.नि. मय जाप्ता बदन सिंह स.उ.नि., जीतराम हेड कां.739, कां. हरवीर सिंह 377, सरकारी बोलेरो व चालक सत्यवीर सिंह मय अनुसंधान बॉक्स उपस्थित मिला, जिन्हें साथ लेकर गश्त करता हुआ समय 7:25 पी.एम. पर कोहनी अजान बंध से पंजाबी नगला जाने वाले रोड पर वन विभाग कार्यालय से आगे कच्ची सपाट पर पहुँचा जहाँ पर पंजाबी नगला की तरफ से एक कार रजि.नं. यूपी 80 एफई 8358 आती नजर आई जिसमें तीन व्यक्ति बैठे हुए दिखाई देने पर कार संदिग्ध होने पर रोका व कार के अन्दर बैठे तीनों व्यक्तियों से नाम-पते पूछे तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र महाराज सिंह ठाकुर, उम्र 59 साल, निवासी मांगरोल गुर्जर (रुनकता) थाना सिकन्दरा, जिला आगरा, चालक सीट की बगल वाली दूसरी सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम भगवान सिंह पुत्र शिव सिंह कुशवाह, उम्र 58 साल, निवासी कुशवाह मोहल्ला मण्डी मिर्जा खाँ, पुलिस थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा व पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम दीपक पुत्र विजेन्द्र सिंह ठाकुर, उम्र 30 साल, निवासी कचेरा थोक रुनकता, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा होना बताया। गाड़ी को चेक करने पर चालक के बगल वाली सीट के नीचे शख्स भगवान सिंह के पैरों के नीचे छुपा हुआ एक थैला रखा मिला जिस पर विमल पान मसाला लिखा हुआ, पीछे वाली सीट पर एक बड़ा बैग काला व सफेद धारीदार बिना मार्कावाला रखा मिला जिस पर दीपक अपने दोनों हाथों को रखकर गर्दन झुकाकर बैठा था। दोनों बैगों में रखे सामान के बारे में पूछा तो तीनों द्वारा उनमें मादक पदार्थ गांजा होना बताया। स.उ.नि. बदन सिंह को समय 7:30 पी.एम. पर नोटिस देकर स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया जिसने 7:35 पी.एम. पर वापस आकर आस-पास करीब एक किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं होने और राहगीरों द्वारा स्वतंत्र गवाह बनने से इंकार करने पर जाप्ते में से करतार सिंह व बदन सिंह से गवाह बनने की सहमति प्राप्त कर तीनों शख्सों को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस जारी कर दोनों बैगों एवं गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें पीछे की सीट पर रखे काले व सफेद धारीदार बैग के अन्दर एक विमल पान मसाला का बैग मिला जिसके अन्दर 10 पैकेट व एक काले रंग की थैली मिली जिन्हें चीरा लगाकर चेक किया तो उनमें हरा व भूरे रंग का नमीदार हल्का गीला पदार्थ पत्तीनुमा मिला जिसे सूंघकर परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया तथा भगवान सिंह के पैरों के नीचे रखे थैले को खोलकर चेक किया तो उसमें दो पैकेट रखे मिले जिन्हें खोलकर देखा तो उनमें भी हरे व भूरे रंग का नमीदार हल्का गीला पत्तीनुमा पदार्थ मिला जिसको देख व सूंघकर गांजा होना पाया गया। पूछताछ में उक्त शख्सों ने उक्त मादक पदार्थ सब्बीर कलन्दर, निवासी फतेहपुर सीकरी से खरीदकर भरतपुर राजस्थान में बिक्री हेतु लाना बताया। उक्त शख्सों की तलाशी में

ओमप्रकाश के कब्जे से 35,000/-रुपये, एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी मय सिम कार्ड मिला, भगवान सिंह के कब्जे से 10,000/-रुपये व एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी मय सिम कार्ड तथा दीपक की तलाशी में एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी मय सिम कार्ड एवं पर्स में 5,700/-रुपये रखे मिले। पूछने पर उक्त तीनों ने रास्ते में करीब 5 किलो गांजा बेचने की बिक्री के रुपये होना बताया। तीनों शख्सों के कब्जे से मिले कुल 12 पैकेटों व एक काले रंग की थैली में मिले मादक पदार्थ गांजा को बड़े बैग में रखकर इलैक्ट्रॉनिक कांटे से तोला गया तो 12 किलो 933 ग्राम तथा खाली बैग का वजन 651 ग्राम तथा का खाली बैग का वजन घटाने पर गांजे का शुद्ध वजन 12 किलो 282 ग्राम होना पाया गया तथा उक्त बैग को सुरक्षार्थ एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर उसका तोल करके कट्टे को वजह सबूत सील्ड-मोहर कर मार्क "ए" अंकित किया तथा तीनों शख्सों को मौके पर गिरफ्तार कर बाद आवश्यक कार्यवाही के मय माल-मुलजिमान के थाने पर आया,....इत्यादि। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना सेवर पर एफ.आई.आर. संख्या 109/26, अपराध धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

5. बहस पर मनन किया गया, केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विद्वान् अधिवक्तागण आरोपी/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार दिनाँक 25.02.2026 की रात को आरोपी/प्रार्थीगण दीपक व भगवान सिंह व सहआरोपी ओमप्रकाश के कब्जेशुदा कार नम्बर यू.पी.80 एफ.ई. 8358 में 12 पैकेटों व एक काली थैली में 12 किलो 282 ग्राम गांजा बरामद किये जाने का आरोप है। जब्ती अधिकारी द्वारा 12 पैकेटों व काली थैली को खोलकर मिलाकर एक बैग में रखकर सील-मोहर कर उसे नमूना सैम्पल एवं कंट्रोल सैम्पल लिवाने हेतु सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रखा गया। आरोपी/प्रार्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ एक से अधिक पैकेट/बैग से मादक पदार्थ जब्त होता है तो जब्ती अधिकारी द्वारा प्रत्येक बैग में से सैम्पल लेना चाहिए तथा सभी बैगों में से प्राप्त मादक पदार्थ को मिलाकर उसमें से एक सैम्पल लेने की विधि को गलत होना बताया गया है। निःसन्देह भारत सरकार की अधिसूचना दिनाँक 23.12.2022 के अनुसार सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाते हैं किन्तु मजिस्ट्रेट द्वारा भी प्रत्येक बैग से ही सैम्पल लिए जाने का प्रावधान है, किन्तु इस प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा सभी पैकेटों के मादक पदार्थ गांजे को मिलाकर एक थैले में डालने से मजिस्ट्रेट द्वारा केवल मात्र एक सैम्पल व एक कंट्रोल सैम्पल एफएसएल परीक्षण हेतु लिया जा सकता है। जब्ती अधिकारी द्वारा सभी 12 पैकेटों व एक काली थैली के मादक पदार्थ गांजे को मिलाकर एक करने की जो प्रक्रिया अपनायी गई है, या तो यह प्रक्रिया जानबूझकर आरोपीगण को फायदा पहुँचाने के लिए अपनायी गई है, या फिर जब्ती अधिकारी को मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में अपने दायित्व

की विधिक जानकारी नहीं होना प्रमाणित होता है। केस डायरी के अनुसार आरोपी/प्रार्थीगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। जब्ती अधिकारी द्वारा सभी बरामदशुदा पैकेटों को एक साथ मिलाकर उसका वजन किया गया है जिससे आरोपीगण से बरामदशुदा मादक पदार्थ वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मेरे विनम्र मत में आरोपी/प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः आरोपी/प्रार्थीगण दीपक पुत्र विजेन्द्र सिंह, आयु 30 साल, निवासी कचेरा थोक रुनकता, पुलिस थाना सिकन्दरा, जिला आगरा (उ.प्र.) एवं भगवान सिंह पुत्र शिवसिंह, आयु 58 साल, निवासी कुशवाह मोहल्ला, मण्डी मिर्जा खाँ, पुलिस थाना फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा (उ.प्र.) की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने हेतु यदि आरोपी/प्रार्थीगण की ओर से 1,00,000/-(अक्षरे एक लाख) रुपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र एवं 50,000-50,000/-(अक्षरे पचास-पचास हजार) रुपये की राशि की दो-दो जमानतें न्यायालय के संतोषप्रद व समाधानप्रद पेश कर तस्दीक करा दी जावें, तो आरोपी/प्रार्थीगण अन्य किसी प्रकरण में वांछित न होने पर इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिये जावें।

7. इस आदेश की प्रतियाँ पुलिस महानिरीक्षक, रेंज भरतपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को इस प्रकरण के जब्ती अधिकारी सतीश चन्द शर्मा, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना सेवर द्वारा अपनायी गई कार्यशैली के संबंध में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

(बलजीत सिंह)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Steno Grade -I
(Authenticated Document)
Digitally signed by GULRAJ GOPAL
Date: 2026.03.24 17:28:01 +0545

(बलजीत सिंह)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
भरतपुर